

# कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा।

## आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि औपबंधिक रूप से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के आगे अंकित त्रुटियों (पुनः स्कूटनी के दरम्यान पाई गई) के निराकरण हेतु साक्ष्य उपस्थापित करने हेतु दिनांक 08.09.2015 तक का समय निर्धारित किया जाता है। दिनांक 08.09.2015 तक अपने पक्ष में साक्ष्य नहीं उपस्थापित नहीं करने की स्थिति में उनकी पात्रता/वरीयता स्वतः समाप्त समझी जायगी।

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं विवरणी	कोटि	आवेदित पद का नाम	डाटा बेस क्रमांक	पुनः स्कूटनी में पाई गई त्रुटियाँ
1	Gussa Nag Munda	S.T. Para	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक(कला)	174	दिनांक 15.07.2006 से पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत साथ ही दिनांक 05.01.2007 से दिनांक 31.07.2007 तक राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से नियमित छात्र के रूप में बी0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त।
2	Rakhi	S.C. Non Para	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक(भाषा)	307	आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी से न्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत।
3	Vijay Tigga	S.T. Para	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक(भाषा)	20	पारा शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए नियमित छात्र के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त।
4	Pratima Verma	UR Non Para	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक(भाषा)	222	स्नातक प्रमाण पत्र में मुख्य विषय या सहायक विषय के रूप में भाषा का विषय स्पष्ट नहीं है।
5	Amren Guria	S.T. Non Para	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक(भाषा)	100	स्नातक प्रमाण पत्र में मुख्य विषय या सहायक विषय के रूप में भाषा का विषय स्पष्ट नहीं है।
6	Arti Kumari	UR Para	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक(विज्ञान)	123	पारा शिक्षक के रूप में 10.07.2007 से कार्यरत जबकि बी0एड. शिक्षक प्रशिक्षण सत्र नियमित छात्र के रूप में 2009-10
7	Kumari Kiran Mala	MBC Para	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक(विज्ञान)	98	पारा शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए नियमित छात्र के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त।
8	Balchand Mahto	UR Para	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक(विज्ञान)	122	स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक(विज्ञान) पद हेतु आवेदन प्राप्त तथा टेट प्रमाण पत्र SCIENCE & MATHS हेतु निर्गत लेकिन आवेदक विज्ञान या गणित विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण नहीं।

साथ ही वैसे सभी पारा शिक्षक जिन्होंने पारा शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए नियमित छात्र के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया है (इग्नू द्वारा पत्राचार से विभागीय नियमों के तहत किए गए डी0पी0ई0 कोर्स के मामले में लागू नहीं), दिनांक 08.09.2015 तक अपने पक्ष में संबंधित दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा उनके द्वारा आवेदित पद(विज्ञापन सं० 03/2015 एवं 04/2015) हेतु उनकी पात्रता/वरीयता स्वतः समाप्त समझी जायगी।

ज्ञापांक..... 1154 ..... सिमडेगा, दिनांक..... 02/09/2015

जिला शिक्षा अधीक्षक  
सिमडेगा  
2-9-15